

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प1(1)साप्र/2/18

जयपुर, दिनांक . 02.01.2019


-: आदेश :-

श्री महेन्द्र सिंह सिंघवी, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 23/2018 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय बंगला नं0 8, अरपताल रोड़, जयपुर नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर निम्न शर्तों पर एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है :-

शर्त:-


1. आवास का कब्जा 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) के आदेश संख्या प. 9(1)राज/वाद/88/पार्ट-II दिनांक 29.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. पद त्याग करने अथवा पद से हटने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके आदेश संख्या प.9(1) राज/वाद/88/पार्ट-II दिनांक 29.12.2018 के क्रम में।
4. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
7. श्री महेन्द्र सिंह सिंघवी, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर जयपुर।
9. मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ 19000030 दिनांक 02.01.2019 के क्रम में।
10. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
11. कार्यालय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर के आईडी संख्या 21/सीएस/2019 दिनांक 02.01.2019 के क्रम में।
12. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
16. अधिशाधी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, हीराबाग जयपुर।
17. निदेशक/उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (अनुभाग 1, 3, 5, 6) विभाग।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव 21/1/2019